रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1478] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2016/ज्येष्ठ 23, 1938
No. 1478] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2016/JYAISTHA 23, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

का.आ. 2086(अ) .— यत: उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 **का** 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2014 की का.आ.सं. 2007(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि. मु. यो.- 2021)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना क्षेत्र 'डी' में कर्जन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में समर्पित कार्यालय भवन (डेडीकेटिड ऑफिस बिल्डिंग)	1.40 हेक्टेयर (3.462 एकड)	'आवासीय'	'सरकारी (सरकारी कार्यालय)'	उत्तर-पंडित रवि शंकर शुक्ल मार्ग। दक्षिण -राजस्व विभाग को आबंटित खाली भूमि एवं 24 मी. चौडा मार्गाधिकार कैनिंग रोड । पूर्व- एशिया हाऊस । पश्चिम-लेडी इर्विन स्कूल

[फा0 सं0 के-13011/1/ 2012-डीडी-।]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2016

S.O.2086(E).— whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2007(E) dated 07.08.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
Dedicated Office building at Curzon Road, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi in Planning Zone-D	1.40 ha. (3.462 acres)	'Residential'	'Government (Government Office)'	**North:** Pt. Ravi Shankar Shukla Marg **South:** Vacant land allotted to Deptt. of Revenue & 24m wide R/W Canning Road **East:** Asia House **West:** Lady Irwin School

[F.No. K-13011/1/2012-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.